87/2021/1/89307/2021-71-2002/23/2019

प्रेषक,

शुभ्रा सक्सेना,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 16 अगस्त, 2021

विषयः- संस्थान परिसर में निर्माणाधीन 2 X 10 एम0वी0ए0 क्षमता के दो अदद 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-पी0जी0आई0/एफ0आई0ई0/ई0-160/291/2021, दिनांक 05-08-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान परिसर में निर्माणाधीन 2 X 10 एम0वी0ए0 क्षमता के दो अदद 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-118/2018/1582/71-2-18-पी-42/2017, दिनांक 14 सितम्बर, 2018 द्वारा संस्थान परिसर में निर्माणाधीन 2 X 10 एम0वी0ए0 क्षमता के दो अदद 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु रू0 1035.05 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए रू0 414.02 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। प्रश्नगत परियोजना के अंतर्गत अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल रू0 828.03 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्रायोजना हेतु रू0 155.27 लाख (रूपया एक करोड पचपन लाख सत्ताइस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान के निदेशक की होगी।
2) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त कार्य पर समिति द्वारा 10 प्रतिशत सेन्टेज चार्ज लिये जाने को अनुमन्य किया गया। कन्टीजेंसी को मात्र 02 प्रतिशत तथा 1.5 प्रतिशत टी0 एण्ड पी, 1 प्रतिशत लेबर सेस चार्जेज अनुमन्य किया गया।
3) कार्य की द्विरावृत्ति को रोकनें की दृष्टि से संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4) आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। यदि कार्यो की लम्बाई/चौडाई में परिवर्तन, स्वीकृत आगणन के स्कोप में परिवर्तन आदि आता है तो समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनायी जाये। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं निदेशक संस्थान का होगा।

5) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

6) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संस्थान द्वारा प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

8) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

9) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेक्स चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

10) संस्थान द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

11) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जायेगा। निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणो/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

12) कार्यदायी संस्था को 02 माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। संस्थान में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण 02-02 माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

14) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

15) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शुभ्रा सक्सेना)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, उर्जा अनुभाग-1
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड/निदेशक (तकनीकी), मध्यांचल, वि0वि0नि0 लिमिटेड, लखनऊ।
9- अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय निर्माण खण्ड द्वितीय, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमि0 लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।